फर्द अहकाम

राजवन्ती बनाम सरकार वगैरह

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़

केस संख्या 154/2023

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	21/11/24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। तहसीलदार ने कुर्रेजात रिपोर्ट पेश की। जिसे शामिल मिसल किया गया। वकील वादी ने मुताबिक कुर्रेजात वाद की तकासम हेतु सहमति दी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 22/11/24 को पेश हो। [हस्ताक्षर] उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़
	22/11/24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। पत्रावली आदेश के विचाराधीन है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। तथा वकील वादी की बहस को श्रवण किया गया। अतः वादी का अन्तर्गत धारा 53, 188 राज० काश्तकारी अधिनियम को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा वाद को मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट के तकासम हेतु निर्णित किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया। निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नतीजा दर्ज कर तथा बाद प्रति दाखिल दफ्तर हो। [हस्ताक्षर] उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
154 / 2023	12 / 10 / 2023	22 / 11 / 2024

1. राजवन्ती पत्नि लालाराम जाति मीना निवासी ग्राम खोरामीणा, तहसील आमेर, जिला जयपुर राज0।

वादी

बनाम

1. अर्जुनलाल पुत्र कल्याण
2. झूंथी पत्नि कल्याण
3. धोली देवी पत्नि लालचन्द
4. ~~श्रीमपाल~~ रामपाल दत्तक पुत्र ग्यारसा
5. ~~रामपाल पुत्र कल्याण~~
6. लक्ष्मादेवी पत्नि अर्जुनलाल
7. लालचन्द पुत्र कल्याण

   समस्त जाति मीना, निवासी ग्राम सरजोली, तहसील आंधी, जिला जयपुर।
8. तहसीलदार महोदय जरिये तहसीलदार तहसील आंधी जिला जयपुर।
9. उप पंजीयक महोदय तहसील आंधीजिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभावक

श्री रामजीलाल मीना :— वकील वादी।

दावा बाबत बटंवारा, स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा—53, 188 आर0टी0एक्ट

—: निर्णय :—

वादी की ओर से एड0 श्री रामजीलाल मीना ने यह वाद विरूद्व प्रतिवादीगण इस कथन के साथ पेश किया कि वादग्रस्त भूमि आराजी खसरा नम्बर 329 रकबा 0.0100है0, खसरा नम्बर 330 रकबा 3.1300है0 कुल किता 2 कुल रकबा 3.1400है0 स्थित ग्राम सरजोली, तहसील आंधी, जिला जयपुर में वादी एवं प्रतिवादीगण के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार सहखातेदार है। जिसे आगे उक्त वादपत्र में वादग्रस्त सम्पत्ति कहा गया है। जिसका विधिक तकासमा नही कराया गया है। अतः उक्त वर्णित वादग्रस्त सम्पत्ति का सरस—नरस के अनुसार कब्जे को मध्य नजर रखते हुये तकासमा कर वादी का राजस्व रिकार्ड व लगान अलग अलग कायम किया जावें। प्रकरण में विधिवत सुनवाई करते हुए दिनांक 07.05.2024 को प्राथमिक डिक्री किया गया। जिसकी पालना में तहसीलदार आंधी ने कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर पेश की। प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर बहस वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी ने कुर्रेजात स्वीकार करने में सहमति जाहिर की। बहस सुनी जाकर निर्णय किया गया।

पत्रावली का अद्योपान अवलोकन किया गया। भूमिधारी तहसीलदार आंधी के द्वारा प्रस्तुत बटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। भूमिधारी तहसीलदार आंधी ने बटवारा हिस्से अनुसार किया। अतः वादी का वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान

उपखण्ड अधिकारी

काश्तकारी अधिनियम को अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम सरजोली, तहसील आंधी, जिला जयपुर में स्थित निम्नांकित आराजियात का तकासमा किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य मुताबिक बटवारा रिपोर्ट के निम्नानुसार विभाजन किया जाता है। उसी मुताबिक इन्हे खातेदार तन्हा घोषित किया जाता है।

–: वर्तमान जमाबन्दी अनुसार :–

वर्तमान जमाबन्दी अनुसार	आराजी नम्बर	रकबा है0	किस्म	लगान
अर्जुनलाल पुत्र कल्याण हि0 7/96 जाति मीना राहिन हिस्सा 7/96 (पूर्ण खाता) पंजाब नेशनल बैंक शाखा खवारानीजी, झूंथी पत्नि कल्याण हि0 1/32 जाति मीना राहिन हिस्सा 1/32 पूर्ण खाता यूनियन बैंक आफ इंडिया शाखा कूकस, धोली देवी पत्नि लालचन्द हि0 1/8 जाति मीना, राजवन्ती पत्नि लालाराम हि0 1/4 जाति मीना राहिन हिस्सा 1/8 पूर्ण खाता यूनियन बैंक आफ इण्डिया शाखा कूकस, रामपाल दत्तक पुत्र ग्यारसा हि0 1/4 जाति मीना राहिन हि0 1/4 पूर्ण खाता यूनियन बैंक आफ इण्डिया शाखा कूकस, रामपाल पुत्र कल्याण हि0 7/96 जाति मीना राहिन हि0 7/96 पूर्ण खाता पंजाब नेशनल बैंक शाखा खवारानीजी, लक्ष्मादेवी पत्नि अर्जुनलाल हि0 1/8 जाति मीना, लालचन्द पुत्र कल्याण हि0 7/96 जाति मीना राहिन हि0 7/96 पूर्ण खाता पंजाब नेशनल बैंक शाखा खवारानीजी सा0 खोरामीणा खातेदार	329 330	0.0100 3.1300	गै.मु.चाह बारानी 2	– 12.52
योग	किता 2	3.1400	–	12.52

–: प्रस्तावित :–

खाता संख्या	प्रस्तावित	आराजी नम्बर	है0	किस्म	लगान
1	राजवन्ती पत्नि लालाराम जाति मीना सा0 खोरामीणा खातेदार राहिन यू0बी0आई0 शाखा कूकस मुर्तहीन	330/2	0.7850	बारानी 2	–
	योग	किता 1	0.7850	–	–
2	अर्जुन पुत्र कल्याण हि0 7/72 राहीन पीएनबी शाखा खवारानीजी, झूंथी पत्नि कल्याण हि0 1/24 राहीन यूबीआई शाखा कूकस, धोली देवी पत्नि लालचन्द हि0 1/6 राहीन यूबीआई शाखा कूकस, रामपाल दत्तक पुत्र ग्यारसा हि0 1/3 राहीन यू0बी0आई0 शाखा कूकस, रामपाल पुत्र कल्याण हि0 7/72 राहीन पीएनबी शाखा खवारानीजी, लक्ष्मादेवी पत्नि अर्जुनलाल हि0 1/6, लालचन्द पुत्र कल्याण हिस्सा 7/72 राहीन पीएनबी शाखा खवारानीजी जाति मीना सा0देह खातेदार	329 330/1	0.01 2.3450	गै.मु.चाह बारानी 2	–
	योग	किता 2	2.3550	–	–

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

परोक्त विभाजन अनुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अलग–अलग खाते दर्ज अंकित की जावे, साथ ही ादी एवं प्रतिवादीगण को हुक्म इक्तिनाइ दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वादी एवं प्रतिवादीगण के ईस्से मे आई आराजीयात में किसी प्रकार से कब्जे में दखल अंदाजी नहीं करें। नक्शा ट्रेस प्रमाणित किया ाया। अन्तिम पर्चा डिक्री जारी है।

निर्णय आज दिनांक 22/11/2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया ाया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ